CONTENTS

INDEX

TITLE	Page(s)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई और दूरदर्शी दृष्टि पर एक अध्ययन – **मीनू सचदेवा, डॉ. शिवपाल सिंह**	**02**
हिन्दी भाषा एवं संस्कृति का नई शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में अध्ययन –**विनीत कुमार आर्य, डा0 रामबाबू सिंह, डॉ0 मीनाक्षी द्विवेदी**	**16**
शिक्षा नीति **2020:** संवैधानिक प्रावधानों पर अध्ययन – **शिवानी जैन**	**22**
शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की भूमिका - **पूजा रानी**	**28**
शिक्षक शिक्षा और शिक्षक दक्षताओ को पेशेवर बनाना - **श्री मन्दीप कुमार**	**33**

DVSIJMR
ISSN NO 2454-7522

DVS International Journal of Multi-Disciplinary Research ISSN NO 2454-7522
Vol: 8, ISSUE: 1, No: 29 July – September, 2022

हिन्दी भाषा एवं संस्कृति का नई शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में अध्ययन

***विनीत कुमार आर्य** ****डा0 रामबाबू सिंह** *****डॉ0 मीनाक्षी द्विवेदी**
*शोध छात्र, **सहायक आचार्य ***सहायक आचार्य
बी.एड./एम.एड. विभाग शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, एम.जे.पी.आर.यू.,बरेली

सांराश

भाषा एक बहती जलधारा के समान है हमारा देश बहुभाषी भाषा बोलने वाला देश है संविधान मे एक राष्ट्र एक ध्वज, एक भाषा का प्रावधान किया गया और हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप मे प्रमुखता प्रदान की। 14 सितम्बर 1947 को हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा मिला सितम्बर माह हिन्दी पखवाडा के रूप में मनाया जाता है। हमारी प्रथम शिक्षा नीति 1968 मे बनाई गई। जो कोठारी आयोग 1964–66 पर आधारित है। जिसमे प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के सभी पहलूओं पर प्रकाश डाला गया। दूसरी शिक्षा नीति तत्काल प्रधान मंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल 1986 में बनाई तथा इसमे संशोधन 1992 में किये। और ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति पर महत्व दिया। इसमे भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के0 कस्तूरी नन्दन की अध्यक्षता मे बनी। भारतीय राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में भारत की विभिन्न भाषाओं का विशेष प्रावधान किया गया। हमारे संविधान के आठवीं अनुसूचि मे 22 भाषा है जिसमे आज कुछ बोलियों विलुप्त हो गयी है। जिनको पुनः प्रयोग मे लाने का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे प्रावधान किया गया । और सभी कार्य मात्र भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा मे करने का प्रावधान किया गया है। जिससे बच्चों में पढ़ाई करने के लिए भाषा की समस्या का बोझ न बनकर अपनी मात्रभाषा मे शिक्षा ग्रहण करें ताकि इनमे आत्मीयता पनपें और अध्ययन में रूचि उत्पन्न हो तथा भारतीय भाषा और संस्कृति की उपेदयता को प्रधानता मिलें।

मुख्य शब्दावली : हिन्दी भाषा, संस्कृति, नई शिक्षा नीति 2020, अध्ययन ।

DVSIJMR ISSN NO 2454-7522

1. प्रस्तावना

हमारे देश मे विभिन्न भाषाओं की बोलियां बोली जाती है। सभी व्यक्ति अपनी भाषा तथा संस्कृति को महत्व देते है। हमारा देश विभिन्न भाषाओं व संस्कृति का देश है। प्रत्येक जीव जन्तु पशु पक्षी अपनी भाषा को ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करते है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अन्य भाषाओं की भांति हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि है। हिन्दी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। हमारा देश बहुभाषी और विभिन्न संस्कृति वाला देश है। यहा बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। और अलग–अलग प्रांत की अपनी अलग संस्कृति की उपदेयता है। स्वतन्त्रता पश्चात भाषा विद्वानो तथा राजनीतिक कार्यों को करने के लिए भाषा की समस्या सामने आयी तब संविधान की आठवीं अनुसूची मे हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्य हिन्दी भाषा मे करना सुनिश्चित किये गये। इसी के साथ अंग्रेजी भाषा को भी प्रधानता मिली। 14 सितम्बर 1947 को हिन्दी राष्ट्र भाषा बनी तथा सितम्बर माह को हिन्दी भाषा के पखवाडा के रूप मे भी मनाया जाता है। हमारी तीसरी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 भाषा और संस्कृति के सन्दर्भ

में उपादेयता का प्रावधान किया गया है कि जो भाषा और पाण्डुलिपि विलुप्त हो गयी है। उन्हे क्रियान्वयन किया जाए और त्रिभाषा सूत्र की भी उपादेयता को लागू किया जाए और यह भी प्रावधान किया गया कि बालक अपनी मात्रभाषा एवं संस्कृति मे शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह अधिक सीखेगा। बुनियादी शिक्षा को नई शिक्षा नीति मे पुनः लागू किया गया हैं।

2. हिन्दी भाषा एवं संस्कृति का नई शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में अध्ययन

2.1 भाषा

2.1.1 मौखिक अभिव्यक्ति

2.1.2 लिखित अभिव्यक्ति

2.2 संस्कृति

2.2.1 भौतिक संस्कृति एवं नैतिक मूल्य

2.2.2 अभौतिक संस्कृति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा और संस्कृति बढावा देने का महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया क्योंकि हम अपनी भाषा को भूल कर पश्चिमी भाषा में काम करना 'पसन्द करने लगे जबकि बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है. जिस कार्य को बच्चा रूचि पूर्ण नहीं कर सकता या सीख पाता है, तो ऐसी शिक्षा भला कैसे कर सकती है। भाषा को समझने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा का होना जरूरी होना चाहिए । हम भाषा को अपने भावों को करने के लिये मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति करते हैं।

2.1.1 मौखिक अभिव्यक्ति

मौखिक अभिव्यक्ति में व्यक्ति अपने अन्तः करण में एकत्रित भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करते है। मौखिक प्रक्रिया के माध्यम से जल्दी सीख पाते है. प्रो० रमन बिहारी के शब्दों में –

'मौखिक अभिव्यक्ति से व्यक्ति अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए ध्वन्यात्यक संकेत साधन का प्रयोग करता है, बालक अपने दैनिक जीवन मे जो सुनता है देखता है तथा पढता है, उसे शुद्ध एवं तर्क पूर्ण ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इससे बालकों में रूचि बढ़ती है, उनकी मनोवृत्तियों का विकास होता है, और बालकों को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वे अपने मन में उठे प्रश्नों का समाधान कर सके।

- **मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता :** बालकों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा व संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए विचारों को अभिव्यक्त करने तथा संस्कृति को समझने के विशेष प्रावधान किया गया है।

तथा स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा तथा अपनी संस्कृति को जीवित रखने की एक अनोखी पहल का प्रावधान किया गया है.

- **मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व :** हम दिन रात पता नही कितने व्यक्ति हमारे सम्पर्क में आते हैं, हम सभी से अपनी भाषा बोली के द्वारा ही वार्तालाप करते हैं। व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वार्तालाप में स्पष्टता होनी चाहिए। व्यवहार तथा अन्य व्यवसायों में उन्हीं व्यक्तियो को सफलता प्राप्त होती है, जो अपनी भाषा से दूसरों को प्रभावित करते हैं। किसी नौकरी अथवा साक्षात्कार में भी उन्ही व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होती नहीं होती, जो सबकुछ जानते हुए भी अपनी भावो को व्यक्त नहीं कर पाते हैं वैसे भी बालक लिखने से पहले मौखिक भाषा को सीखने का अभ्यास करता है, बोलचाल के द्वारा सीखी गयी भाषा अधिक देर तक मस्तिष्क में दृढ़ रहती है।
- **विहान लैम्बोर्न के अनुसार :** मेरा निश्चित विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य परम आवश्यक है अर्थात वार्तालाप के द्वारा ही छात्र–आत्म–अभिव्यक्ति में दक्षता प्राप्त करता है।

2.1.2 लिखित अभिव्यन्ति :

मौखिक अभिव्यक्ति की भांति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में उतनी महत्वपूर्ण है क्योकि मौखिक रूप से कही गई या सुनी गई बाते अस्थाई होती है परन्तु जो विचार या भाषा शैली किसी भी पांडुलिपि में लिखी गई है या लिख दी जाती है उन्हें केवल छात्र ही नही बल्कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पढ़कर उनका अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं अपने भावों तथा विचारों को लिखकर भी अभिव्यक्ति की जा सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति को उसके उच्चारण की आत्मा कहा जाता है। लिखित अभिव्यक्ति की रचना अक्षरों से हुई हैं प्रथम वर्तनी द्वितीय व्याकरण। वे उच्च प्राथमिक कक्षाओं से आरंभ होकर माध्यमिक स्तर तक इसका विकास होता है बच्चा ध्वनि के माध्यम से इसका ज्ञान प्राप्त कर लिखित रचनाओं को लिखने लगता है जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा, कहानी, नाटक आदि लिखित अभिव्यक्ति में भावों तथा विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिपिबद्ध करना है। लेवार्द का कथन है कि सुंदर लेख विचारपूर्ण संभाषण है।

- **लिखित अभिव्यक्ति का महत्व :** मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थाई रहे, तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल तक से सचित करता चला आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित जिसे छात्रों के जीवन में क्रियान्वयन में लाने का प्रावधान किया जा रहा है।

2.2 संस्कृति :

राष्ट्रीय शिक्षा नीते 2020 में संस्कृति, कला, भाषा आदि पर बडा ही महत्वपूर्ण ध्यान देने का प्रावधान किया क्योंकि हम अपनी कला व संस्कृति को भूल चुके हैं और पश्चिमी कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे। हम अपने रीति रिवाज संस्कार सब छोड़ते जा रहे, राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 के अध्याय आठ में अपनी संस्कृति कला, भाषा का विकसित करने का प्रावधान किया गया जिससे हमारी संस्कृति की बच्चों को जानकारी हो और शिक्षा साथ–साथ उनमे संस्कार की भावना भी पनपे, संस्कृति मनुष्य की प्रवृतियों नैसर्गिक शक्तियों और बहिष्कार का परिचय है। इससे किसी विशिष्ट भूखण्ड की मानसिक क्षामता एवं प्रकृति के एक दीर्घ कालीन इतिहास का प्रगटीकरण होता है, मनुष्य शरीर और आत्मा की तृप्ति के लिये विकास अथवा उन्नति विविध बौद्धिक क्षेत्रों में करता है। वही हमारी संस्कृति है प्रत्येक समाज के इतिहास में एक ऐसा स्तर आता है जब मनुष्य एक विशेष प्रकार की बौद्धिक उत्कर्ष प्राप्त कर लेता है के कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के द्वारा एक नूतन संस्कृति व नूतन विश्व का निर्माण करना चाहते है इनका कहना है कि जीवन को समझना अपने आप को समझना है। यही शिक्षा का आरंभ और अंत है यद्यपि संस्कृत शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों से किया जाता है इसे संस्कार से उत्पन्न भी कहा जाता है। सरकार का मतलब, बुद्धि का अभिधाय पवित्रता से न होकर सामाजिकता से है भारतीय संस्कृति के दो कार्य है :

- सस्कृति की सुरक्षा करना।
- संस्कृति का विकास करना।

कोई समाज अपनी सस्कृति के अनूसार शिक्षा की व्यवस्था का निर्धारण करता है यदि किसी समाज के अध्यात्मिक पक्षों को प्रमुखता दी जाती हो तो उसमे शिक्षा के द्वारा नैतिक व चारित्रिक पक्षों पर बल दिया जाता है। और यदि भौतिक पक्षों को महत्व दिया जाता है तो वह भौतिक पक्षों की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुखता दी जाती है। शिक्षा एवं संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः संस्कृति शिक्षा के सभी पक्षों शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों और शिक्षण विधियों तथा विद्यालय की गतिविधियों को भी प्रभावित करती हो, हमारे समाज में संस्कृति के दो पक्ष माने जाते हैं।

2.2.1 भौतिक संस्कृति एवं नैतिक मूल्य : जिसमें मनुष्य के व्यवहार से सम्मिलित भौतिक वस्तुएं आती हैं।

2.2.2 अभौतिक संस्कृति : इसमें अमूर्त वस्तुएं या विचार सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति को बढ़ावा देना एक अनोखी पहल का प्रावधान है। विषयों को भी आसानी से समझा जा सकेगा। शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। दूसरी भाषा एवं संस्कृति को सीखने से बच्चे में हीन भावना पनपने लगेगी। नई शिक्षा नीति में व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए विलुप्त भाषा एवं संस्कृति जागरूकता पैदा करना अहम उद्देश्य है।

3. भाषा एवं संस्कृति के सन्दर्भ में उपादेयता की आवश्यकता :

भारतीय राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में भाषा एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज हम अपनी भाषा और संस्कृति को छोडकर पश्चिमी भाषा और संस्कृति को अपना रहे है। जिस कारण हमारी भाषा और संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपादेयता मे भारतीय भाषा ओर संस्कृति के प्रति जागरूक करना महत्वपूर्ण प्रावधान

दिया गया है। भारत मे कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ व्यक्ति विभिन्न प्रकार की कारीगरी, हस्तकला शिल्प कला साहित्य आदि की योग्यता मे निपुण होने के पश्चात भी अपनी भाषा संस्कृति के अभाव में समाज में पहचान बनाने में असफल है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को बढ़वा देने का प्रावधान किया गया है।

4. भाषा एवं संस्कृति के सन्दर्भ में उपादेयता के उद्देश्य :

नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य भाषा और संस्कृति में अपनी पहचान पर पूर्वजोर बल दिया गया है। यदि बालक अपनी भाषा मे शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसमे आत्मीयता पैदा होगी। स्वामित्व बढेगा और शिक्षा ग्रहण करना आसान होगा। बालक शिक्षा को आत्मसात करेगा।

5. सुझाव : निम्न प्रकार से है

- भारतीय भाषाओं के शब्दकोष और शब्द भण्डार को निरन्तर अधिकारिक रूप से अपडेट करते रहना।
- भारतीय भाषाओं में निर्मित शब्दावलियों, शब्दकोषो का प्रचार–प्रसार करना।
- विश्व भर के देशो मे उपलब्ध ज्ञान सामग्री को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना।
- भारतीय भाषाओं के सीखने के लिए कुशल शिक्षको को प्रशिक्षित करके तैयार करना, भाषा शिक्षण तथा संस्कृति कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।
- बहुभाषिता को प्रोत्साहन करने के लिए त्रिभाषा सूत्र फार्मूला को क्रियान्वयन संस्कृत भाषा को मुख्य धारा मे लाने का प्रावधान।
- भारतीय भाषा और संस्कृति तुलनात्मक साहित्य सृजनात्मक लेखन कला संगीत दर्शनशास्त्र आदि विभागों की स्थापना करना ।

6. अध्ययन के निष्कर्षः

इस प्रकार इस समस्त विवरण से स्पष्ट हैः– विश्व भर के देशो मे नित्य नवीन ज्ञान विज्ञान मे नई खोज का भारतीय भाषाओ मे अनुवाद किया जाए और विभिन्न भारतीय भाषाओं के अनुवाद के माध्यम से पढाया जायें तथा भाषा और संस्कृति को सैद्धान्तिक ज्ञान से नही बल्कि व्यावहारिक स्तर पर ही सिखाया जाएं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति भाषा और संस्कृति के सन्दर्भ मे उपादेयता मे भाषा और संस्कृति को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। यह एक सकारात्मक प्रावधान है। भाषा और संस्कृति को क्रियान्वयन किया जाना स्वयं को लाभान्वित करना ही नही दूसरो को भी लाभन्वित करना है।

7. संदर्भ ग्रंथ सूची :

- मिश्र, डॉ0 संत कुमार मिश्र, भारतीय समाज एवं शैक्षिक चिंतन
- दुबे, श्याम शरण, मानव और संस्कृति
- मिश्र, संत कुमार, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व
- दिनकर, रामधारी, संस्कृति के चार अध्याय
- पचौरी, डॉ0 गिरीश, अग्रवाल डॉ0 प्रीति, कार्य शिक्षा गांधीजी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता।

DVSIJMR
ISSN NO 2454-7522